सिविल अपील सं. 2019 का 8307
विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 36095 2016)

गुजरात राज्य के माध्यम से
मुख्य सचिव एवं ए.एन.आर. ...अपीलकर्ता

बनाम

एम्बर बिल्डर्स...प्रतिवादी

दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, न्यायाधीशगण ,

गुजरात लोक निर्माण अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 1992 - मुद्दा यह है कि क्या 1996 अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित गुजरात पब्लिक वर्क्स अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण को धारा 17 के संदर्ब में अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार है - प्रतिवादी-ठेकेदार को दिनांक 31.07.07 के कार्य आदेश के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड का सुदृढ़ीकरण करने का अनुबंध दिया गया , जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल था –ठेकेदार के अनुसार , उसने 30.04.08 को काम पूरा किया और अंतिम बिल भुगतान किया - सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी और राज्य ने आह्वान किया था ठेकेदार क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करेगा और ठेकेदार के अनुसार, यह मरम्मत पूरी हो गई थी - ठेकेदार का मामला है कि अनुबंध के संदर्भ में, ठेकेदार दोष हटाने के लिए केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए उत्तरदायी था और वो अवधि 30.04.11 को समाप्त हो गई– राज्य ने दिनांक 11.11.14 को पत्र जारी किया जिसमें ठेकेदार को 1,09,00,092/- रुपये भुगतान करने के लिए बुलाया गया, इस आधार पर कि ठेकेदार ने अनुबंध के अनुसार सड़क की मरम्मत का काम नही किया है - उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत रिट याचिका में धारित: ठेकेदार के लिए उचित उपाय 1992 अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण मध्यस्थ से संपर्क करना था, क्योंकि यह तय करने का अधिकार क्षेत्र कि क्या सरकार द्वारा जारी नोटिस कानूनी नोटिस था और क्या सरकार वास्तव में ठेकेदार से किसी भी राशि की वसूली करने की हकदार थी - ट्रिब्यूनल के पास यह तय करने का अधिकार क्षेत्र है की ठेकेदार द्वारा अंतरिम राहत लेने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया - जहां तक 1996 अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निहित शक्तियां का संबंध है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग 1992 अधिनियम के तहत घटित अधिकरण द्वारा किया जा सकता है क्योंकि दोनों अधिनियमों में अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए कोई असंगति नहीं है , दोनों अधिनियमओ द्वारा मामले के गुण-दोष पर जानबूझकर नहीं जाया गया - उच्च न्यायालय के निर्णय को अदालत ने किया खारिज - ठेकेदार को गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है – यदि ट्रिब्यूनल से आज से 2 महीने के भीतर संपर्क किया जाता है, ट्रिब्यूनल परिसीमा के मुद्दे पर दावे को खारिज नही करेगी और निर्णय गुण-दोष के आधार पर देगी – मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 – ss.2-43 9, 17 – मध्यस्थता अधिनियम, 1940। गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 1992 धारा 2 (ए), 3, 8 (3), 9, 12, 13, 21 – अधिनियम की योजना –चर्चा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - ss.9, 17 - आयोजित: s.9 न्यायालय को अंतरिम उपाय प्रदान करने का अधिकार देता है – हालांकि, धारा 9 (3) स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि एक बार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन होने के बाद, न्यायालय धारा 9(1) के तहत एक आवेदन पर विचार नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो धारा 17 के तहत उपाय करें, जिसमें अंतरिम उपायों का प्रावधान है मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया, प्रभावोत्पादक नहीं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - भाग की प्रयोज्यता मध्यस्थता के लिए किसी अन्य अधिनियमन के तहत भी की जाती है– आयोजित: अधिनियम का भाग यानी धारा 2 से धारा 43 तक मध्यस्थता से संबंधित है और धारा 2 (2) स्पष्ट रूप से बताती है कि उक्त भाग सभी पर लागू होगा।भारत में होने वाली मध्यस्थता – - एस.2(4) यह स्पष्ट करता है कि यह धारा 40 (1), 41 और 43 के अलावा, अधिनियम का भाग सभी पर लागू होगा

मध्यस्थता भले ही वे किसी अन्य अधिनियमन के तहत किए गए हों जैसे कि मध्यस्थता एक मध्यस्थता समझौते के अनुसार थी सिवाय इसके कि भाग-I के उपबंध निम्नलिखित के साथ असंगत हैं:अन्य अधिनियमन या उसके तहत बनाए गए कोई नियम।

अपीलों का निपटारा करते हुए,न्यायालय
आयोजित: 1.1 मध्यस्थता और सुलह की धारा 9 अधिनियम, 1996 न्यायालय को अंतरिम उपाय प्रदान करने का अधिकार देता है हालांकि, धारा 9 (3) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि एक बार मध्यस्थ ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, अदालत एक आवेदन पर विचार नहीं करेगी, धारा 9 (1) के तहत जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो निम्नलिखित उपाय करेंगी धारा 17 प्रभावी नहीं है। ए एंड सी अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले अंतरिम उपायों के लिए -l. भाग I ए एंड सी अधिनियम की धारा 2 से धारा 43 तक मध्यस्थता और धारा 2 (2) स्पष्ट रूप से कहती है कि उक्त भाग भारत में होने वाली सभी मध्यस्थताओं पर लागू होता है। धारा 2(4)यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि धारा 40 (1), 41 और 43, ए एंड सी अधिनियम का भाग 1 सभी मध्यस्थताओं पर लागू होगा, भले ही वे किसी अन्य अधिनियमन के तहत किए जाते हैं जैसे कि मध्यस्थता एक मध्यस्थता समझौते के अनुसार थे, सिवाय इसके कि जहां तक भाग I के प्रावधान दूसरे के साथ असंगत हैं अधिनियमन या उसके तहत बनाए गए कोई नियम-एक सादा पढ़ना होगा दिखाएँ कि ए और सी अधिनियम के भाग I के प्रावधान किस पर लागू होंगे? सभी मध्यस्थता एं जहां मध्यस्थता का स्थान भारत के भीतर है। एक। यहाँ तक कि अन्य अधिनियमों के तहत वैधानिक मध्यस्थता किसके द्वारा शासित होगी? भाग I. एकमात्र अपवाद यह है कि यदि कोई प्रस्थान है विशेष अधिनियमन में भाग I फिर विशेष अधिनियमन होगा यह प्रबल होगा और ए एंड सी अधिनियम विशेष अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त करेगा। 1.2 ट्रिब्यूनल का संदर्भ और प्रक्रिया शासित है गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद के अध्याय 3 द्वारा मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 1992 धारा 8 में प्रावधान है कि कहां उक्त अधिनियम के अर्थ के भीतर कोई भी विवाद, किसके बीच उत्पन्न होता है? पक्ष, उक्त विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा उक्त अधिनियम में क्या विचाराधीन समझौते में क्या शामिल है मध्यस्थता खंड या नहीं। मूल रूप से, राज्य की मंशा विधायिका यह थी कि कार्य अनुबंध से संबंधित सभी विवाद राज्य सरकार और इसे निष्पादित करने वाले व्यक्तियों के बीच कार्य अनुबंध के रूप में परिभाषित कार्यों को अनिवार्य रूप से संदर्भित किया जाएगा गुजरात अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्य। धारा 8 (3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जहां ट्रिब्यूनल स्वीकार करता है उप-धारा (2) के तहत एक संदर्भ यह एक पुरस्कार या एक पुरस्कार देगा इसके कारणों को बताते हुए अंतरिम निर्णय। यह अनुभाग पहचानता है अंतरिम निर्णय देने के लिए ट्रिब्यूनल की शक्ति। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने एक विचार लिया कि अंतरिम आदेश निम्नलिखित में नहीं हो सकता है निषेधाज्ञा की प्रकृति। ट्रिब्यूनल की प्रथा और प्रक्रिया अधिनियम की धारा 9 द्वारा शासित है। अधिनियम की धारा 12 निहित है गुजरात उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण शक्तियां जहां एक निर्णय या किसी भी अंतरिम फैसले को निर्धारित आधार ों पर चुनौती दी जा सकती है उसमें। उच्च न्यायालय के पास भी इस संबंध में स्वत: संज्ञान लेने की शक्तियां हैं। धारा 13 विशेष रूप से सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को रोकती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सिविल कोर्ट में निहित शक्तियां ए एंड सी अधिनियम, जैसे कि अंतरिम राहत देने की शक्तियां ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 और किसी को रद्द करने की शक्तियां अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिनिर्णय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है सिविल द्वारा गुजरात अधिनियम के तहत दिए गए निर्णयों के संबंध में न्यायालय हैं चिंतित। जहां तक गुजरात अधिनियम का संबंध है, निर्धारित करने की शक्ति धारा 12.के तहत उच्च न्यायालय में एक निर्णय को अलग करना/संशोधित करना निहित है। ठेकेदार के लिए उपयुक्त उपाय यह था कि वह संपर्क करे उसके बाद से गुजरात अधिनियम के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण यह तय करने का अधिकार होगा कि क्या नोटिस किसके द्वारा जारी किया गया है? सरकार एक कानूनी नोटिस थी और क्या सरकार वास्तव में,ठेकेदार से किसी भी राशि की वसूली करने का हकदार था। यह निर्णय लेना भी न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होगा। क्या ठेकेदार ने अनुदान के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है अंतरिम राहत। न्यायालय जानबूझकर गुण-दोष में नहीं जा रहा है। मामले की सुनवाई इसलिए क्योंकि एक बार यह माना जाता है कि ट्रिब्यूनल के पास विवाद पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। 1.3 अधिनियमों के संयुक्त अध्ययन और सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर साथ में, न्यायालय का विचार है कि जहां तक शक्तियां निहित हैं ए एंड सी अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में मध्यस्थ न्यायाधिकरण में यदि संबंध है, तो न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है गुजरात अधिनियम के तहत गठित किया गया क्योंकि ऐसा नहीं है जहां तक अंतरिम मंजूरी देने का संबंध है, इन दोनों अधिनियमों में असंगति

राहत की बात है .यह शक्ति पहले से ही न्यायाधिकरण में निहित है। गुजरात अधिनियम और ए एंड सी अधिनियम की धारा 17 के तहत ये शक्तियां और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रावधान ए और सी अधिनियम की धारा 17 गुजरात के साथ असंगत है कार्य। गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णयों को निरस्त किया जाता है। तथापि, ठेकेदार (ठेकेदारों) को न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है। गुजरात लोक निर्माण संविदा विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण और यदि आज से 2 महीने के भीतर ट्रिब्यूनल से संपर्क किया जाता है, तो ट्रिब्यूनल सीमा के मुद्दे पर दावे को खारिज नहीं करेगा। यहगुण-दोष के आधार पर इसका निर्णय लेंगे।

न्यायालय का निर्णय दीपक गुप्ता, जे द्वारा सुनाया गया था।

1इन अपीलों में निर्णय के लिए मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या गुजरात लोक निर्माण अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अधिनियम, 1992 (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत गठित गुजरात लोक निर्माण अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) का गठन किया गया है। जैसा कि 'गुजरात अधिनियम') के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'ए और सी अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 17 के संदर्भ में अंतरिम आदेश देने का अधिकार क्षेत्र है।

2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि गुजरात अधिनियम राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा परिभाषित कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ किए गए "कार्य अनुबंध" से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को अनिवार्य रूप से संदर्भित करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था। गुजरात अधिनियम की धारा 2 (के) के संदर्भ में "कार्य अनुबंध" के रूप में । जहां तक इस मामले का सवाल है, यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता राज्य और प्रतिवादी ठेकेदार के बीच हुआ अनुबंध एक "कार्य अनुबंध" था। पार्टियों से संबंधित अनुबंध आदेश दिनांक 31.07.2007 में एक मध्यस्थता खंड शामिल था, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: " खंड: 30(1) विवादों को ट्रिब्यूनल में भेजा जाना: इस अनुबंध से संबंधित विवाद, जहां तक वे संबंधित हैं निम्नलिखित मामलों में से, चाहे ऐसे विवाद कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने या छोड़े जाने के बाद उत्पन्न हों, मध्यस्थता न्यायाधिकरण, गुजरात राज्य को भेजे जाएंगे..."

3. यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामलों में गुजरात अधिनियम लागू है।हम मुख्य रूप से पार्टियों के बीच किए गए अनुबंध के खंड 43.ए से चिंतित हैं, जो इस प्रकार है:"43.ए किसी भी सरकारी कार्य को निष्पादित करने वाले ठेकेदार को देय और देय कोई भी राशि (ठेकेदार को वापस की जाने वाली सुरक्षा जमा सहित) इस अनुबंध के तहत अनुदान के रूप में पूरी तरह से वित्तपोषित किसी भी जिला पंचायत का कार्य या काम किसी भी जिला पंचायत/सरकार द्वारा उचित होगा और गुजरात राज्य की सरकार/जिला पंचायत के किसी भी दावे के खिलाफ गुजरात राज्य/सरकार की जिला पंचायत द्वारा बंद कर दिया जाएगा। गुजरात राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में पूर्ण रूप से वित्तपोषित कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा गुजरात राज्य की सरकार/जिला पंचायत के साथ किए गए किसी अन्य अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाली धनराशि का भुगतान।जब गुजरात राज्य की सरकार/जिला पंचायत के किसी भी दावे के विरुद्ध ठेकेदार से वसूली के लिए ऐसी कोई राशि उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी वसूली ठेकेदार से भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

4. इस निर्णय में, हम केवल 2019 की सिविल अपील संख्या 8307 @ 2016 की एसएलपी (सी) संख्या 36095 के तथ्यों का उल्लेख कर रहे हैं। प्रतिवादी ठेकेदार को कार्य आदेश दिनांक 31.07 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के एक खंड को मजबूत करने के लिए एक अनुबंध से सम्मानित किया गया था। ठेके दार के अनुसार, उसने 30.04.2008 को काम पूरा कर लिया और अंतिम बिल का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी और ठेकेदार के अनुसार, भारी बारिश के कारण ऐसा हुआ था। राज्य ने ठेकेदार को क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिए बुलाया और ठेकेदार के अनुसार, बारिश रुकने के बाद यह मरम्मत पूरी कर ली गई।

5. ठेकेदार का मामला यह है कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ठेकेदार केवल 3 साल की अवधि के लिए दोषों को दूर करने के लिए उत्तरदायी था, जो अवधि 30.04.2011 को समाप्त हो गई।10.09.2012 को ठेकेदार ने सुरक्षा राशि जारी करने के लिए राज्य को पत्र लिखा। यह राशि तदनुसार पत्र दिनांक 10.09.2012 द्वारा जारी की गई थी। राज्य ने दिनांक 11.11.2014 को पत्र जारी कर ठेकेदार को 1,09,00,092/- रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए कहा। यह दावा इस आधार पर किया गया था कि ठेकेदार ने अनुबंध के अनुसार सड़क मरम्मत कार्य नहीं किया था। अपीलकर्ता राज्य

ने सुरक्षा जमा और अन्य लंबित कार्यों के बिलों से भुगतान रोकने की धमकी दी। इस नोटिस को गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि राज्य अन्य अनुबंधों के तहत ठेकेदार को देय राशि को रोकने या अन्य अनुबंधों के तहत किए गए भुगतान से राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं है, जब तक कि देनदारी न हो जाए। ठेकेदार का निर्धारण और मात्रा निर्धारण किसी न्यायालय या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले मंच द्वारा किया गया था। राज्य का रुख यह था कि चूंकि ठेकेदार का काम दोषपूर्ण था, इसलिए राज्य ने ठेकेदार के जोखिम पर दूसरे व्यक्ति से काम करवाया था। यदि ठेकेदार को कोई विवाद है, तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और ऊपर उद्धृत समझौते के खंड 43.ए पर भरोसा किया गया था।

6. उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम श्री रामेश्वर राइस मिल्स, तीर्थहल्ली1 में इस न्यायालय के फैसले और आक्षेपित निर्णय में संदर्भित विभिन्न निर्णयों में गुजरात उच्च न्यायालय के सुसंगत दृष्टिकोण पर भरोसा किया और माना कि मात्रा निर्धारण या क्रिस्टलीकरण के बिना जिस राशि की वसूली की मांग की गई है, नियोक्ता या ठेकेदार किसी अन्य अनुबंध के संबंध में उसी ठेकेदार के चल रहे अनुबंध कार्य से उक्त राशि की एकतरफा वसूली नहीं कर सकता है। आगे यह निर्देश दिया गया कि राज्य अन्य अनुबंधों में ठेकेदार को देय भुगतान से वसूली जाने वाली राशि की वसूली नहीं कर सकता है। हालाँकि, राज्य को कानून के तहत अनुमत अन्य तरीकों से वसूली करने की स्वतंत्रता दी गई थी। तदनुसार दिनांक 18.02.2016 के फैसले के तहत याचिका को स्वीकार कर लिया गया और दिनांक 11.11.2014 के संचार को रद्द कर दिया गया।

7. इस फैसले को हमारे सामने चुनौती दी गई है.गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्रीतेश कपूर का तर्क है कि उच्च न्यायालय के पास इस तरह का आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उनका कहना है कि, वास्तव में, प्रतिवादी ठेकेदार का उपाय, यदि कोई हो, गुजरात अधिनियम के तहत गठित राज्य न्यायाधिकरण 1 (1987) 2 एससीसी 160 से संपर्क करना था और रिट अदालत ऐसी राहत नहीं दे सकती थी। दूसरी ओर,प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री. केजी सुखवानी ने कहा कि गुजरात अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल के पास ऐसी राहत देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उन्होंने राज्य ट्रिब्यूनल के दिनांक 24.11.2005 के एक आदेश पर भरोसा किया है जिसमें ट्रिब्यूनल ने कहा था कि वह केवल इसका उपयोग कर सकता है। जिस गुजरात अधिनियम की यह रचना है, उसके द्वारा या उसके तहत इसे प्रदत्त क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और अधिकार। आगे यह माना गया कि यदि गुजरात अधिनियम ट्रिब्यूनल को निषेधाज्ञा देने का अधिकार नहीं देता है, और यह अंतरिम राहत देने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 का सहारा नहीं ले सकता है। यह भी माना गया कि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश, जैसा कि वर्तमान मामले में प्रार्थना की गई है, 'अंतरिम पुरस्कार' के दायरे में नहीं आता है। ट्रिब्यूनल ने माना कि ऐसी निषेधाज्ञा देने की कोई शक्ति नहीं है।

8. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तब से, गुजरात में, सभी संचार/आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत राज्य अनुबंध के प्रावधानों का सहारा लेते हुए खंड 43.ए के समान ठेकेदार के दावों के खिलाफ राशि की वसूली करना चाहता है। अन्य अनुबंधों में, उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है।

9. हमने फैसले के शुरुआती हिस्से में मुख्य मुद्दा निकाल लिया है। गुजरात अधिनियम की धारा 2(ए) एक 'मध्यस्थता अधिनियम' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है मध्यस्थता अधिनियम 1940। पक्षों द्वारा इस बात पर विवाद नहीं है कि अब इसका अर्थ ए एंड सी अधिनियम होगा।

10. हम ए और सी अधिनियम के कुछ प्रावधानों का भी उल्लेख कर सकते हैं। ए एंड सी अधिनियम की धारा 2(ई)(आई) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य विवादों के संदर्भ में 'न्यायालय' को इस प्रकार परिभाषित करती है: "(i) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य मध्यस्थता के मामले में, प्रमुख सिविल न्यायालय एक जिले में मूल क्षेत्राधिकार का, और इसमें अपने सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय भी शामिल है, जिसके पास मध्यस्थता की विषय-वस्तु बनाने वाले प्रश्नों को तय करने का अधिकार क्षेत्र है, यदि वह किसी मुकदमे का विषय रहा हो, लेकिन इसमें कोई भी शामिल नहीं है ऐसे प्रमुख सिविल न्यायालय, या किसी लघु वाद न्यायालय से निम्न श्रेणी का सिविल न्यायालय;"

11. हम ए एंड सी अधिनियम की धारा 2(2) और 2(4) का भी उल्लेख कर सकते हैं जो इस प्रकार है: "(2) यह भाग वहां लागू होगा जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है:

बशर्ते कि इसके विपरीत किसी समझौते के अधीन,धारा 9,27 और 27 खंड के प्रावधान हों

(ए) धारा 37 की उपधारा (1) और उपधारा (3)अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर भी लागू होगी, भले ही मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर हो, और ऐसी जगह पर किया गया या दिया जाने वाला मध्यस्थ पुरस्कार लागू करने योग्य और मान्यता प्राप्त है इस अधिनियम के भाग II के प्रावधानों के तहत।" "(4)धारा 40,धारा 41 और 43 की उपधारा (1) को छोड़कर यह भाग उस समय लागू किसी भी अन्य अधिनियम के तहत हर मध्यस्थता पर लागू होगा, जैसे कि मध्यस्थता एक मध्यस्थता समझौते के अनुसार थी और जैसे यदि वह अन्य अधिनियम एक मध्यस्थता समझौता था, सिवाय इसके कि इस भाग के प्रावधान उस अन्य अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के साथ असंगत हैं।

12. ए और सी अधिनियम की धारा 9 न्यायालय को अंतरिम उपाय देने का अधिकार देती है।हालाँकि,धारा 9(3) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि एक बार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित हो जाने के बाद, न्यायालय धारा 9(1) के तहत किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो धारा 17 के तहत उपाय प्रभावशाली नहीं कर पाएंगी।

13. ए और सी अधिनियम की धारा 17 मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले अंतरिम उपायों का प्रावधान करती है।इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: "17.मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित अंतरिम उपाय.—(1) एक पक्ष, मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान या मध्यस्थ पुरस्कार देने के बाद किसी भी समय, लेकिन धारा 36 के अनुसार इसे लागू करने से पहले, मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर आवेदन कर सकता है

(i) मध्यस्थ कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए किसी नाबालिग या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के लिए अभिभावक की नियुक्ति के लिए; या

(ii) निम्नलिखित में से किसी भी मामले के संबंध में सुरक्षा के अंतरिम उपाय के लिए, अर्थात्:

(ए) किसी भी सामान का संरक्षण, अंतरिम हिरासत या बिक्री जो मध्यस्थता समझौते का विषय है

(बी) मध्यस्थता में विवाद की राशि सुरक्षित करना;

(सी) किसी भी संपत्ति या चीज़ की हिरासत, संरक्षण या निरीक्षण, जो मध्यस्थता में विवाद का विषय है, या जिसके बारे में कोई प्रश्न उठ सकता है और उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करना किसी भी पक्ष के कब्जे में, या किसी नमूने को लेने के लिए अधिकृत करना, या किए जाने वाले किसी अवलोकन, या आजमाए जाने वाले प्रयोग को अधिकृत करना, जो पूरी जानकारी या साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन हो सकता है

(डी) अंतरिम निषेधाज्ञा या रिसीवर की नियुक्ति

(ई) सुरक्षा के ऐसे अन्य अंतरिम उपाय जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हो सकते हैं, और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास आदेश देने के लिए वही शक्ति होगी, जो अदालत के पास किसी के संबंध में और उसके प्रयोजन के लिए है। इसके पहले की कार्यवाही

(2) धारा 37 के तहत अपील में पारित किसी भी आदेश के अधीन , इस धारा के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जारी कोई भी आदेश सभी उद्देश्यों के लिए न्यायालय का आदेश माना जाएगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत लागू किया जाएगा। (1908 का 5), उसी तरह जैसे कि यह न्यायालय का आदेश हो।"

14. हम ए एंड सी अधिनियम की धारा 31(6) का भी उल्लेख कर सकते हैं जो इस प्रकार है:"31(6) मध्यस्थ पुरस्कार का स्वरूप और सामग्री मध्यस्थ न्यायाधिकरण, मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान किसी भी समय, किसी भी मामले पर अंतरिम मध्यस्थ पुरस्कार दे सकता है जिसके संबंध में वह अंतिम मध्यस्थ पुरस्कार दे सकता है।

15. ए एंड सी अधिनियम का भाग I यानी धारा 2 से धारा 43 तक मध्यस्थता से संबंधित है और धारा 2(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उक्त भाग भारत में होने वाले सभी मध्यस्थता पर लागू होगा। धारा 2(4) यह बिल्कुल स्पष्ट करती है कि धारा 40(1),41 और 43 के अलावा, ए एंड सी अधिनियम का भाग I सभी मध्यस्थताओं पर लागू होगा, भले ही वे किसी अन्य अधिनियम के तहत किए गए हों जैसे कि मध्यस्थताएं इसके अनुसार थीं एक मध्यस्थता समझौता, सिवाय इसके कि भाग I के प्रावधान अन्य अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के साथ असंगत हैं। एक स्पष्ट पढ़ने से पता चलेगा कि ए एंड सी अधिनियम के भाग I के प्रावधान उन सभी मध्यस्थताओं पर लागू होंगे जहां मध्यस्थता का स्थान भारत के भीतर है। यहां तक कि अन्य अधिनियमों के तहत वैधानिक मध्यस्थता भी भाग I द्वारा शासित होगी। एकमात्र अपवाद यह है कि यदि विशेष अधिनियम में भाग I से कोई विचलन होता है तो विशेष अधिनियम प्रभावी होगा और ए और सी अधिनियम विशेष अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त करेगा

16. इसी संदर्भ में हमें गुजरात अधिनियम की जांच करनी होगी। हम पहले ही गुजरात अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लेख कर चुके हैं ट्रिब्यूनल का संदर्भ और प्रक्रिया गुजरात अधिनियम के अध्याय 3 द्वारा शासित होती है। धारा 8 में प्रावधान है कि जहां उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत पार्टियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उक्त विवाद को उक्त अधिनियम के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, चाहे विचाराधीन समझौते में मध्यस्थता खंड शामिल हो या नहीं। मूल रूप से, स्टेज विधानमंडल का इरादा यह था कि राज्य सरकार और कार्य अनुबंध के रूप में परिभाषित कार्यों को निष्पादित करने वाले व्यक्तियों के बीच कार्य अनुबंध से संबंधित सभी विवादों को अनिवार्य रूप से गुजरात अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। धारा 8(3) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि जहां ट्रिब्यूनल उपधारा (2) के तहत एक संदर्भ स्वीकार करता है, वह उसके कारण बताते हुए एक पुरस्कार या अंतरिम पुरस्कार देगा। यह धारा अंतरिम पुरस्कार देने की न्यायाधिकरण की शक्ति को मान्यता देती है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, ट्रिब्यूनल ने माना कि अंतरिम पुरस्कार निषेधाज्ञा की प्रकृति में नहीं हो सकता है।

17. ट्रिब्यूनल की प्रथा और प्रक्रिया अधिनियम की धारा 9 द्वारा शासित होती है। अधिनियम की धारा 12 गुजरात उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण शक्तियाँ प्रदान करती है जहाँ किसी पुरस्कार या किसी अंतरिम पुरस्कार को उसमें निर्धारित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के पास स्वत: संज्ञान की शक्तियां भी हैं। धारा 13 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है: "13. न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की वर्जना.(1) धारा 12 द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर , किसी भी सिविल न्यायालय के पास किसी भी प्रश्न से निपटने या निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे न्यायाधिकरण इस अधिनियम के तहत या उसके तहत निपटने और निर्णय लेने के लिए सशक्त है और किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी। इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में। (2) ट्रिब्यूनल द्वारा इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी पुरस्कार या अंतरिम पुरस्कार या दिए गए आदेश या की गई कार्यवाही पर किसी भी सिविल न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा। धारा 13 विशेष रूप से सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि ए एंड सी अधिनियम के तहत सिविल कोर्ट में निहित शक्तियां, जैसे कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के संदर्भ में अंतरिम राहत देने की शक्तियां और अधिनियम की धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को रद्द करने की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।जहां तक गुजरात अधिनियम के तहत दिए गए पुरस्कारों का संबंध है, सिविल न्यायालय। जहां तक गुजरात अधिनियम का सवाल है, धारा के तहत किसी पुरस्कार को रद्द करने/संशोधित करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित है

गुजरात अधिनियम की धारा 21 इस प्रकार है: 21.मध्यस्थता अधिनियम लागू होना बंद हो जाएगा। मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत हैं, किसी कार्य अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद और किसी मध्यस्थ, अंपायर, अदालत के या समक्ष ऐसे विवाद के संबंध में सभी मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होना बंद हो जाएंगे। प्राधिकरण ट्रिब्यूनल को हस्तांतरित हो जाएगा।

18. हमारा स्पष्ट मानना है कि ठेकेदार के लिए उचित उपाय गुजरात अधिनियम के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण से संपर्क करना था क्योंकि उसके पास यह तय करने का अधिकार क्षेत्र होगा कि क्या सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिस कानूनी नोटिस था और क्या सरकार थी, वास्तव में, ठेकेदार से कोई भी राशि वसूलने का हकदार है। यह तय करना भी ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में होगा कि ठेकेदार ने अंतरिम राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है या नहीं। हम जानबूझकर मामले के गुण-दोष पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक बार जब हम मान लेते हैं कि न्यायाधिकरण के पास विवाद पर विचार करने और फैसला सुनाने का अधिकार क्षेत्र है तो हमारे लिए गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

19. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुखवानी ने गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा है कि जब तक सरकार की मांग स्पष्ट नहीं हो जाती या उस पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार 2 नहीं कर सकती। (2016) 11 एससीसी 720 ठेकेदार का पैसा रोक लिया। चूंकि इस मामले पर विशेष रूप से भरोसा किया गया है, इसलिए हम गंगोत्री एंटरप्राइजेज (सुप्रा) में निर्धारित दृष्टिकोण की शुद्धता पर जाने के लिए बाध्य हैं। गंगोत्री एंटरप्राइजेज (सुप्रा) में निर्णय मुख्य रूप से भारत संघ बनाम रमन आयरन फाउंड्री3 में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर आधारित है। इस मामले में, इस न्यायालय ने माना कि सरकार को दावा की गई राशि को उचित करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले इस पर निर्णय लिए बिना। फैसले का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"6… लेकिन यहां विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश, स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से, अपीलकर्ता को अन्य अनुबंधों के तहत प्रतिवादी को देय राशि का भुगतान करने का कोई निर्देश नहीं देता है। यह न केवल रूप में बल्कि तत्व में भी एक नकारात्मक निषेधाज्ञा है। इसमें कोई सकारात्मक सामग्री नहीं है.यह केवल अपीलकर्ता को प्रतिवादी को देय अन्य राशियों से उसके द्वारा दावा किए गए नुकसान की वसूली करने से रोकना है। यह यह निर्देश नहीं देता है कि अपीलकर्ता प्रतिवादी को इतनी राशि का भुगतान करेगा।

अपीलकर्ता अभी भी ऐसी रकम का भुगतान करने से इनकार कर सकता है यदि उसे लगता है कि उसके पास वैध बचाव है और यदि अपीलकर्ता ऐसा करता है, तो प्रतिवादी के लिए एकमात्र उपाय ऐसी रकम की वसूली के लिए उचित मंच पर कदम उठाना होगा, जहां इस पर निर्णय लिया जाएगा। क्या अपीलकर्ता प्रतिवादी को इतनी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है या नहीं।अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को ऐसी राशि का भुगतान न करने में अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश का कोई उल्लंघन शामिल नहीं होगा। एकमात्र चीज जो अपीलकर्ता को करने से रोकी गई है, वह दावे की संतुष्टि के लिए ऐसी रकम का विनियोजन करके नुकसान के लिए अपने दावे की वसूली करना है।यह स्पष्ट रूप से 3 (1974) 2 एससीसी 231 धारा 41 (बी) के तहत न्यायालय की शक्ति के भीतर है क्योंकि क्षति का दावा मध्यस्थता कार्यवाही का विषय बनता है और न्यायालय हमेशा कह सकता है कि जब तक इस तरह के दावे पर फैसला नहीं सुनाया जाता है, अपीलकर्ता को प्रतिवादी को देय अन्य रकम का विनियोग करके इसकी वसूली करने से रोका जाएगा।इसलिए, विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश को दूसरी अनुसूची के साथ पढ़ी गई धारा 41 (बी) के तहत उनकी शक्ति के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता

"11…इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि अपीलकर्ता के पास खंड 18 के तहत प्रतिवादी और विद्वान न्यायाधीश के खिलाफ नुकसान के अपने दावे की संतुष्टि के लिए प्रतिवादी के अन्य लंबित बिलों की रकम को उचित करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं था। अपीलकर्ता को ऐसा करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करना उचित था।" रमन आयरन फाउंड्री (सुप्रा) के फैसले को विशेष रूप से एचएम कमालुद्दीन अंसारी एंड कंपनी बनाम भारत संघ 4 के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मौजूदा मुद्दे पर खारिज कर दिया गया था ।इस मामले में एक सामान्य शर्त थी जो सरकार को अन्य लंबित बिलों के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि का विनियोजन करके दावा किए गए नुकसान की वसूली करने का अधिकार देती थी। इस मामले में, यह न्यायालय रमन आयरन फाउंड्री (सुप्रा) के निष्कर्षों से असहमत था और इस प्रकार था:

"21…गहरे सम्मान के साथ हम पाते हैं कि उपरोक्त टिप्पणी इस टिप्पणी से ठीक पहले इस न्यायालय द्वारा 4 (1983) 4 एससीसी 417 द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव के साथ असंगत है। हमें न्यायालय की इस टिप्पणी से सहमत होना मुश्किल लगता है कि आक्षेपित आदेश का रूप और सार नकारात्मक होने के कारण प्रतिवादी ऐसी रकम का भुगतान

करने से इंकार कर सकता है यदि उसे लगता है कि उसके पास वैध बचाव है, और यदि वह ऐसा करना चाहता है तो ऐसा होगा। निषेधाज्ञा आदेश का कोई उल्लंघन नहीं.

22. यह सत्य है कि उस मामले में निषेधाज्ञा का आदेश नकारात्मक रूप में था। लेकिन यदि कोई आदेश किसी पक्ष को अन्य अनुबंधों में लंबित बिलों के तहत दूसरे पक्ष को देय राशि रोकने से रोकता है, तो आदेश का अर्थ यह है कि राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि राशि रोकी जाती है तो निषेधाज्ञा आदेश की अवहेलना होगी और निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने के लिए उस पक्ष को दोषी ठहराया जा सकता है। यह कहना विरोधाभास होगा कि किसी पक्ष को राशि रोकने से प्रतिबंधित किया गया है और फिर भी वह अधिकार के रूप में राशि रोक सकता है। किसी भी मामले में यदि निषेधाज्ञा आदेश ऐसा है जिसका पालन करने के लिए कोई पक्ष बाध्य नहीं है, तो अदालत ऐसे अप्रभावी निषेधाज्ञा आदेश को पारित करने से घृणा करेगी और अनिच्छुक होगी।अदालत कभी भी मजे के लिए कोई आदेश पारित नहीं करती। इसे केवल कार्यान्वित करने के उद्देश्य से पारित किया जाता है। एक बार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि न्यायालय के पास अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने के लिए दूसरी अनुसूची के साथ पढ़ी गई धारा 41 (बी) के तहत शक्ति है, लेकिन ऐसा अंतरिम निषेधाज्ञा केवल मध्यस्थता कार्यवाही के संबंध में और इसके उद्देश्य के लिए हो सकता है और आगे यह प्रश्न कि क्या कोई अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को अन्य अनुबंधों के तहत देय राशियाँ मध्यस्थता कार्यवाही का विषय नहीं थीं और इसलिए, अदालत स्पष्ट रूप से कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकती थी, जो कि प्रतीत होता है कि अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के रूप में, पदार्थ की राशि में अपीलकर्ता को अन्य अनुबंधों के तहत प्रतिवादी को देय राशि का भुगतान करने का निर्देश, और ऐसा आदेश स्पष्ट रूप से मध्यस्थता कार्यवाही के उद्देश्य और उसके संबंध में नहीं होगा;न्यायालय की बाद की टिप्पणी कि निषेधाज्ञा का आदेश रूप और सार में नकारात्मक है, प्रतिवादी को अन्य अनुबंधों के लंबित बिलों के तहत अपीलकर्ता को देय राशि का भुगतान करने का कोई निर्देश नहीं था, इसी मामले में इस न्यायालय द्वारा. स्पष्ट रूप से निर्धारित कानून के प्रस्ताव के साथ असंगत है

31. हमारा स्पष्ट मानना है कि उत्तरदाताओं को ठेकेदार के अन्य लंबित बिलों के तहत देय राशि को रोकने से रोकने वाला निषेधाज्ञा वस्तुतः ठेकेदार अपीलकर्ता को राशि का भुगतान करने के निर्देश के समान है। ऐसा आदेश स्पष्ट रूप से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 के खंड (बी) के दायरे से परे था । भारतीय संघ को उस निषेधाज्ञा के अनुदान पर कोई आपत्ति नहीं है जो ठेकेदार के नुकसान के दावे के संबंध में उसके पास पड़ी राशि की वसूली या विनियोग करने से रोकती है। लेकिन निश्चित रूप से मानक अनुबंध का खंड 18 भारत संघ को राशि रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है और भारत संघ को राशि रोकने से रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

20. हमारी राय में, गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सुप्रा) में दिया गया निर्णय गलत है क्योंकि यह रमन आयरन फाउंड्री (सुप्रा) पर निर्भर करता है जिसे एचएम कमालुद्दीन अंसारी (सुप्रा) के मामले में तीन जजों की बेंच ने विशेष रूप से खारिज कर दिया है।

21. अधिनियमों को एक साथ पढ़ने और सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर, हमारा विचार है कि जहां तक ए एंड सी अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निहित शक्तियों का संबंध है, ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। गुजरात अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया क्योंकि जहां तक अंतरिम राहत देने का सवाल है, इन दोनों अधिनियमों में कोई असंगतता नहीं है। यह शक्ति पहले से ही गुजरात अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल में निहित है और ए एंड सी अधिनियम की धारा 17 इन शक्तियों की सराहना करती है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 17 के प्रावधान गुजरात अधिनियम के साथ असंगत हैं।

22. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, गुजरात राज्य द्वारा दायर दोनों अपीलों की अनुमति दी जाती है, और गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, ठेकेदार(ओं) को गुजरात लोक निर्माण अनुबंध विवाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है और यदि आज से 2 महीने के भीतर न्यायाधिकरण से संपर्क किया जाता है, तो न्यायाधिकरण सीमा के मुद्दे पर दावे को खारिज नहीं करेगा। यह गुण-दोष के आधार पर ही निर्णय लेगा। लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

(दीपक गुप्ता) जे.

(अनिरुद्ध बोस) नई दिल्ली 8 जनवरी 2020

Tanishka Vaishnav
Civil Judge junior Division
Trainee Judge Panna